राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 49 / 2010

1. कन्हैयालाल
2. भीमराज
3. बनवारी
4. राकेश बाई
5. गजेन्द्र
6. जितेन्द्र
7. मन्नू बाई

} पिसरान कालूलाल जाति मेहर निवासीगण सीमल्या तहसील मांगरोल

8. बद्री बाई बेवा कालूलाल मेहर निवासी सीमल्या तहसील मांगरोल जिला बारां
9. छोट्या उर्फ छोटू पुत्र
10. मन्नी बाई पुत्री

} चतरा जाति मेहर निवासी सीमल्या तह0 मांगरोल

11. नेमीचन्द पुत्र
12. चौथमल पुत्र
13. मोत्या बाई पुत्री
14. शांति बाई पुत्री
15. कान्ति बाई पुत्री
16. बसंती बाई पुत्री

मांगीलाल जाति मेहर निवासी सीमल्या तहसील मांगरोल जिला बारां

.... प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री हिम्मता राम मेहरा (आरएएस)
वकील प्रार्थी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा, श्री कमल दीप सिंह हाडा
दायरा दिनांकः 28.09.2010 निर्णय दिनांक : 04.07.2017

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जमाबंदी संम्वत 2017 से 2020 ग्राम शाहपुरा तहसील मांगरोल में खातेदार आनन्दा पुत्र देवा के खसरा नं0 5 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं0 109 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0355 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं0 362 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं0 380 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 511 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 43 बीघा 6 बिस्वा आराजी खाते में दर्ज है। हाल जमाबंदी सम्वत 2063 से 2066 में बाद

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

लमेंट उक्त आराजी के नये खसरा नं0 12 रकबा 0.29 है0, खसरा नं0 42 रकबा 0.96 है0, खसरा नं0 52 रकबा 1.51 है0, खसरा नं0 514 रकबा 0.90 है0, खसरा नं0 524 रकबा 0.76 है0, खसरा नं0 527 रकबा 0.73 है0, खसरा नं0 528 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 533 रकबा 0.70 है0, खसरा नं0 781/828 रकबा 0.51 है0 कुल 6.53 है0 आराजी दर्ज की गई जो प्रार्थीगण के संयुक्त खाते में दर्ज हो रही है। इस प्रकार सेटलमेंट कार्मिको ने पूर्व की आराजी को कम कर दर्ज कर दिया। अतः निवेदन है कि हाल खसरा नं0 12 व 14 में कमी रकबा 17 ऐयर, खसरा नं0 514 में कमी रकबा 4 ऐयर, खसरा नं0 533 रकबा में कमी रकबा 12 ऐयर, खसरा नं0 781/828 में कमी रकबा 5 ऐयर पूरा किया जाकर खाते में खसरा नं0 12 रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 514 रकबा 0.94 है0, खसरा नं0 533 रकबा 0.72 है0, खसरा नं0 781 रकबा 828 रकबा 0.56 है0 दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त संबंध में तहसीलदार मांगरोल से जॉच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्रांकः भू.अ./2017/6 दिनांक 04.07.2017 के द्वारा यह अंकित किया कि प्रार्थी के कमी रकबे की पूर्ति नही की जा सकती है। चूकि समीपस्थ खसरा नं0 में रकबा बढा हुआ नही है। अतः प्रार्थीगण के कमी रकबे की पूर्ति नही की जा सकती है। प्रकरण खारिज योग्य है।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी ने बाद सेटलमेंट हुई कमी रकबे की पूर्ति करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की आराजी के समीपस्थ किसी भी खसरा नम्बरान में रकबा बढा हुआ नही है, प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में यह भी स्पष्ट नही किया है कि कमी रकबे की पूर्ति किस खसरा नम्बरान से की जानी है। तथा ना ही मिलान क्षेत्रफल संलग्न किया है। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध करने में असफल रहे है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2017 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट केम्प शाहपुरा मजमेंआम में सुनाया गया।

(हिम्मता राम मेहरा)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल